240

संख्याः 2703/VII-1/91-ख/2013

प्रेषक,

ललित मोहन आर्य,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
भोपालपानी, देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग

देहरादून : दिनांक : 27 नवम्बर, 2013

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2013-14 में खनन प्रशासन के अधिष्ठान व्यय हेतु अनुपूरक बजट मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 668/XXVII(1)/2013, दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्याः 931/VII-1/91-ख/2013, दिनांक 29 मई, 2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में खनन प्रशासन के अधिष्ठान व्यय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम अनुपूरक अनुदानान्तर्गत **प्राविधानित ₹3400 (₹चौतीस लाख मात्र) की धनराशि अलॉटमेंट आई0डी0-S1311230298 दिनांक 27 नवम्बर, 2013** के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

2- वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नही किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 284/XXVII (1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 में इंगित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

5- व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्ही मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

क्रमशः...

6– उक्त चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग–00–आयोजनेत्तर–02–खानों का विनियमन तथा विकास–001–निदेशन तथा प्रशासन लघु शीर्षक 003 के स्थान पर)–03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान मद के अंतर्गत उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 668/XXVII(1)/2013, दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः– आई0डी0–S1311230298 दिनांक 27 नवम्बर, 2013

भवदीय,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2703(1)/VII-1/91–ख/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादू।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0डुगरियाल)
अनु सचिव।